निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या **55/2025** (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

रमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा, काना की ढाणी, चौप, तहसील आमेर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 14.08.2025**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 10.03.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ के नाम आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम चौंप तहसील आमेर के खसरा संख्या 1908, 1915 एवं 1845 आम रास्ते पर अतिक्रमण को हटाने संबंधी दिए गए प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचनाएं चाही गई है। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 10792 दिनांक 17.07.2025, जो कि अपीलार्थी को संबोधित किया गया है, के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के क्रम में पारित विनिश्चय से सूचित किया जा चुका है एवं उपलब्ध सूचना दी जा चुकी है। सूचना उपलब्ध कराए जाने के उपरांत प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक **14.08.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner